

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 415/2024
अनवान : -

1. धर्मपाल पुत्र बट्टी प्रसाद जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर

- वादी

बनाम्

1. ईश्वर पुत्र मानाराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. कैला देवी पत्नी धर्मपाल जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. दलीपसिंह पुत्र पप्पुराम जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. पप्पुराम पुत्र सुरजा जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र मंगलाराम जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. बिरजलाल पुत्र मानाराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. मन्जु पुत्री चानण जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. महेन्द्र पुत्र मोहरसिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. मांगीलाल पुत्र लिलुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. मोहनलाल पुत्र मोहरसिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. राजेश कुमार पुत्र पप्पुराम जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. लेखराम पुत्र मानाराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. विद्यादेवी पत्नी मनीराम जाति नायक निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. विनोद कुमार पुत्र मंगलाराम जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. हरीराम पुत्र नोरंगराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
16. हंसराज पुत्र बट्टीप्रसाद जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
17. हंसराज पुत्र नोरंगराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 21/04/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 182/157 की कुल 28.6440 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है। वाद भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण में खाता, सींव व लगान से सम्बन्धित हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहते हैं।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक कल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रह तत्पश्चात बहस सुनी गयी। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता सा० 182/157 की कुल 28.6440 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- 1 हंसराज पुत्र बद्रीप्रसाद जाति बाजीगर सा० देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता आरएमजीबी शाखा न्यौलखी – ग्राम थिराना के ख०न० 210 की 0.6325 हैक्ट, ख०न० 214 की 1.265 हैक्ट, ख०न० 213 की 3.0415 हैक्ट कुल 4.939 हैक्ट
- 2 केला देवी पत्नी धर्मपाल हि० 2024/4686 जाति बाजीगर सा० देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता आरएमजीबी शाखा न्यौलखी, धर्मपाल पुत्र बद्रीप्रसाद हि० 2662/4686 जाति बाजीगर सा० देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता आरएमजीबी शाखा न्यौलखी – ग्राम थिराना के ख०न० 210 की 0.6325 हैक्ट, 214 की 1.265 हैक्ट, 213 की 1.3905 हैक्ट, 217 की 0.8980 हैक्ट कुल 4.6860 हैक्ट
- 3 पवन कुमार पुत्र मंगलाराम हि० 1/2 जाति वाल्मिकी सा० देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा झेदासर, विनोद कुमार पुत्र मंगलाराम हि० 1/2 जाति वाल्मिकी सा० देह खातेदार राहिन हि० 1/2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया झेदासर— ग्राम थिराना के ख०न० 214 की 3.894 हैक्ट, ख०न० 212 की 0.038 हैक्ट, ख०न० 216 की 0.380 हैक्ट कुल 4.3120 हैक्ट
- 4 हंसराज पुत्र नोरंगराम जाति बाजीगर सा० देह खातेदार— ग्राम थिराना ख०न० 216 की 0.2530 हैक्ट कुल 0.253 हैक्ट
- 5 पप्पुराम पुत्र सुरजा हि० 1/2 जाति वाल्मिकी सा० देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर, दलीपसिंह पुत्र पप्पुराम हि० 1/4 जाति वाल्मिकी सा० देह खातेदार, राजेश कुमार पुत्र पप्पुराम हि० 1/4 जाति वाल्मिकी सा० देह खातेदार— ग्राम थिराना ख०न० 212 की 6.854 हैक्ट कुल 6.854 हैक्ट
- 6 ईश्वर पुत्र मानाराम हि० 234/7600 जाति बाजीगर सा० देह खातेदार, बिरजलाल पुत्र मानाराम हि० 234/7600 जाति बाजीगर सा० देह खातेदार, लेखराम पुत्र मानाराम हि० 234/7600 जाति बाजीगर सा० देह खातेदार, मन्जु पुत्री चानण हि० 56/7600 जाति वाल्मिकी सा० देह खातेदार, महेन्द्र पुत्र मोहरसिंह हि० 1265/7600 जाति बाजीगर सा० देह खातेदार, मोहनलाल पुत्र मोहरसिंह हि० 1265/7600 जाति बाजीगर सा० देह खातेदार, विद्या देवी पत्नी मनीराम हि० 6083/7600 जाति नायक सा० भोगराना खातेदार राहिन हि० 3625/7600 पूर्ण खाता बैंक

51

ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, मांगीलाल पुत्र लिलुराम हि0 253/7600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार, हरिराम पुत्र नोरंगराम हि0 253/27600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार— ग्राम थिराना ख0न0 217 की 3.351 हैक्ट, ख0न0 689/216 की 0.759 हैक्ट ख0न0 216 की 3.490 हैक्ट कुल 7.60 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 415/2024

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र बंदी प्रसाद जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर

– वादी

बनाम्

1. ईश्वर पुत्र मानाराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. कैला देवी पत्नी धर्मपाल जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. दलीपसिंह पुत्र पप्पुराम जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. पप्पुराम पुत्र सुरजा जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र मंगलाराम जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. बिरजलाल पुत्र मानाराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. मन्जु पुत्री चानण जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. महेन्द्र पुत्र मोहरसिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. मांगीलाल पुत्र लिलुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. मोहनलाल पुत्र मोहरसिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. राजेश कुमार पुत्र पप्पुराम जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. लेखराम पुत्र मानाराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. विद्यादेवी पत्नी मनीराम जाति नायक निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. विनोद कुमार पुत्र मंगलाराम जाति वाल्मिकी निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. हरीराम पुत्र नोरंगराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
16. हंसराज पुत्र बंदीप्रसाद जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
17. हंसराज पुत्र नोरंगराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1415 सन 2024 निर्णय दिनांक 21/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता सा0 182/157 की कुल 28.6440 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. हंसराज पुत्र बंदीप्रसाद जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता आरएमजीबी शाखा न्यौलखी – ग्राम थिराना के ख0न0 210 की 0.6325 हैक्ट, ख0न0 214 की 1.265 हैक्ट, ख0न0 213 की 3.0415 हैक्ट कुल 4.939 हैक्ट
2. कैला देवी पत्नी धर्मपाल हि0 2024/4686 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता आरएमजीबी शाखा न्यौलखी, धर्मपाल पुत्र बंदीप्रसाद हि0 2662/4686 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता आरएमजीबी शाखा न्यौलखी – ग्राम थिराना के ख0न0 210 की 0.6325 हैक्ट, 214 की 1.265 हैक्ट, 213 की 1.3905 हैक्ट, 217 की 0.8980 हैक्ट कुल 4.6860 हैक्ट
3. पवन कुमार पुत्र मंगलाराम हि0 1/2 जाति वाल्मिकी सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा झेदासर, विनोद कुमार पुत्र मंगलाराम हि0 1/2 जाति वाल्मिकी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया झेदासर— ग्राम थिराना के ख0न0 214 की 3.894 हैक्ट, ख0न0 212 की 0.038 हैक्ट, ख0न0 216 की 0.380 हैक्ट कुल 4.3120 हैक्ट

अधिकारी
नोहर

- 4 हंसराज पुत्र नोरंगराम जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार— ग्राम थिराना ख0न0 216 की 0.2530 हैक्ट कुल 0.253 हैक्ट
- 5 पप्पुराम पुत्र सुरजा हि0 1/2 जाति वाल्मिकी सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर, दलीपसिंह पुत्र पप्पुराम हि0 1/4 जाति वाल्मिकी सा0 देह खातेदार, राजेश कुमार पुत्र पप्पुराम हि0 1/4 जाति वाल्मिकी सा0 देह खातेदार— ग्राम थिराना ख0न0 212 की 6.854 हैक्ट कुल 6.854 हैक्ट
- 6 ईश्वर पुत्र मानाराम हि0 234/7600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार, बिरजलाल पुत्र मानाराम हि0 234/7600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार, लेखराम पुत्र मानाराम हि0 234/7600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार, मन्जु पुत्री चानण हि0 56/7600 जाति वाल्मिकी सा0 देह खातेदार, महेन्द्र पुत्र मोहरसिंह हि0 1265/7600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार, मोहनलाल पुत्र मोहरसिंह हि0 1265/7600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार, विद्या देवी पत्नी मनीराम हि0 6083/7600 जाति नायक सा0 भोगराना खातेदार राहिन हि0 3625/7600 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, मांगीलाल पुत्र लिलुराम हि0 253/7600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार, हरीराम पुत्र नोरंगराम हि0 253/27600 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार— ग्राम थिराना ख0न0 217 की 3.351 हैक्ट, ख0न0 689/216 की 0.759 हैक्ट ख0न0 216 की 3.490 हैक्ट कुल 7.60 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 21/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर